

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 1867 / 1सी0 (वन)  
सेवा में,

दिनांक 30/ 09/2021

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(FP/UK/ROAD/31821/2018)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं०- 08बी/यू०सी०पी०/०६/154/2018/एफ०सी०/117 दिनांक 18.05.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 23 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

| शर्त संख्या | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।                                                                                                                                                                                         |
| 2           | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                              | परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि सौंपे जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।                                                                                                                                          |
| 3 (क)       | प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 800 पौधों को रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार दी गयी वनाच्छादित वन भूमि में किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। | 800 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) ₹0 10,64,800.00 की धनराशि ऑनलाइन चालॉन के माध्यम से दिनांक 19.2.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है।<br>संलग्न 1- चालन की मूल प्रति। |
| 3 (ख)       | राज्य सरकार Plantation हेतु चयनित क्षेत्र का सही खसरा संख्या/उपखण्ड संख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।                                                                                                                                                                                                                                     | वन भूमि प्रस्ताव 1.00 है० से कम का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं है।                                                                                                                                                                |
| 3 (घ)       | वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                           | - तदैव -                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>                                                                 | <p>वनभूमि प्रस्ताव 1.00 हे० से कम होने के कारण प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।</p>                                                                                                                   |
| <p>शुद्ध वर्तमान मूल्य<br/>इस संबंध में भारत के मा० सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4 है० वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> | <p>प्रस्ताव के तहत 0.4 है० वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रु० 2,62,800.00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 19.2.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है।<br/>(संलग्न 1 के अनुसार)</p> |
| <p>विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>                                                                                                                                                                                             | <p>एन०पी०वी० की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बढता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।<br/>संलग्न 2- एन०पी०वी० की बचन बढता का प्रमाण पत्र।</p>                                                        |
| <p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 33 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>खण्ड द्वारा पेड़ों की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 33 वृक्षों का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी।</p>                 |
| <p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>परियोजना के तहत प्राप्त धन ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है।<br/>संलग्न 3- ई-पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति।</p>                   |
| <p>एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>खण्ड द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा।</p>                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।                                                              | खण्ड द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।                                     |
| 2 | संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमक साइनेज लगाए जाएंगे।                                                                            | खण्ड द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमक साइनेज लगाए जायेंगे।                                       |
| 1 | सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/एफ0सी0/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।                                                | शर्त मान्य है।                                                                                                                                    |
| 2 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।                                              | शर्त मान्य है।                                                                                                                                    |
| 3 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।                                                                                            | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।                                                                    |
| 4 | वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।                                                                                                                    | खण्ड द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।                                            |
| 5 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। | परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन विभाग द्वारा दिया जायेगा।       |
| 6 | संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।                                                | प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।                                |
| 7 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।                                         | खण्ड द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। |
| 8 | इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तित की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।           | शर्त मान्य है।                                                                                                                                    |
|   | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।                                                       | शर्त मान्य है।                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति हो हस्तांतरित नहीं की जाएगी।                                                | शर्त मान्य है।                                                                                                          |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | शर्त मान्य है।                                                                                                          |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।                                                                                | शर्त मान्य है।                                                                                                          |
| 23 | अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic/in">https://parivesh.nic/in</a> ) पर अपलोड की जाएगी।                                                                                                          | खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic/in">https://parivesh.nic/in</a> ) पर अपलोड की जाएगी। |

अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय  
(इं० दिनेश कुमार बिजल्लाण)  
अभिशासी अभियन्ता  
30/9/21

क्रांक

1867/1 सी० वन

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो०नि०वि० पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी चमोली।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर।
- 6- सहायक अभियन्ता तृतीय, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गौचर।

0/

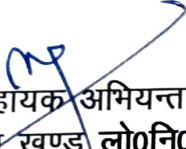
अभिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
गौचर (चमोली)  
30/9/21

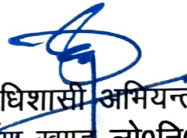


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सैज तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.4 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनबद्धता का प्रमाण पत्र/शपथपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती हैं तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

|                                                                                                                                                      |                            |             |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP/UK/ROAD/42515/2019<br>../viewreport.aspx?<br>pid=FP/UK/ROAD/42515/2019<br>Karnaprayag Nauti Paithani<br>M/R to Koli Bhatoli M/R                   | ROAD4251520192376142515237 | 07 Oct 2020 | CA: 0/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 133100/- ,<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 527300/-       | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Road side/gap filling plantation : 394200/-  | ✓ Paid | Fund Demand<br>Verified by Nodal Officer On 10 Mar 2021<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On 12 Mar 2021<br>Transaction Date 17 Mar 2021 | Demand Letter<br>../writereaddata/Fundpdf/311112381217UN498kolibhatolimotoroad.<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425152019237) |
| FP/UK/ROAD/31821/2018<br>../viewreport.aspx?<br>pid=FP/UK/ROAD/31821/2018<br>Under District Plan ,New<br>construction of road from<br>sainj to sainj | ROAD3182120189466131821946 | 18 May 2020 | CA: 0/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 262800/- ,<br>Other Charges1 0/-<br>Other Charges2 0/-<br>Other Charges3 0/-<br>Total : 1327600/-            | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Road side/gap filling plantation : 1064800/- | ✓ Paid | Fund Demand<br>Verified by Nodal Officer On 23 Dec 2020<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On 13 Feb 2021<br>Transaction Date 20 Feb 2021 | Demand Letter<br>../writereaddata/Fundpdf/1211212331215CSBDMsilangitosenj.pdf<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD318212018946)   |
| UK/ROAD/19786/2016<br>../viewreport.aspx?<br>pid=FP/UK/ROAD/19786/2016<br>Gasu-Niwari-Khet-Silangi                                                   | ROAD1978620164396119786439 | 06 Sep 2018 | CA: 1722150/- ,<br>PCA: 0/- ,<br>Safety Zone: 0/- ,<br>NPV: 2030130/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 3752280/- | Addl CA : 0/-<br>CAT : 0/-<br>Addl PA : 0/-<br>Other Charges : 0/-                          | ✓ Paid | Fund Demand<br>Verified by Nodal Officer On 31 Jan 2019<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On 01 Feb 2019<br>Transaction Date 05 Feb 2019 | Demand Letter<br>../writereaddata/Fundpdf/11129124512152UM0Qscan0023.pdf<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD197862016439)        |

निर्माण खण्ड लोडिंग  
गौचर